फर्द अहकाम

प्रकाश बनाम एबीएस परिवहन प्रा.

संख्या /वर्ष : 311 /20 23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष हाजिर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर उक्त पक्षों को सुना गया। उक्त पक्षों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि वादी ने यह वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर वादग्रस्त भूमि पर मुर्गीपालन हेतु शेड निर्माण का अवैध प्रयोग किया जा रहा है। अतः विवादित भूमि को भूमिधारी में निहित किया जावे। ह० उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		~~प्रार्थी~~ वादी के वाद से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मुर्गीपालन हेतु उपयोग की जा रही है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(2) में कृषि को परिभाषित किया गया है, जिसमें कुक्कुटपालन (Poultry farming) को कृषि में शामिल माना गया है। इसलिए, वादी का वाद धारा-177 के प्रावधानों से इस प्रकार बाधित है कि कुक्कुट पालन कृषि में शामिल होने से कृषि कार्य है न कि अकृषि कार्य। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (जयपुर)